भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 192
उत्तर देने की तारीख 06 दिसम्बर, 2013

स्पेक्ट्रम की कीमतों के संबंध में दिशा-निर्देश

192. श्री मोहम्मद अली खान :
श्रीमती टी रत्नाबाई :

क्या संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार कंपनियों ने स्पेक्ट्रम की कीमतों के संबंध मं स्पष्ट दिशा-निर्देश की मांग की है; और
(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

उत्तर

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मिलिंद देवरा)

(क) और (ख): सरकार ने 1800 मेगाहर्टज, 900 मेगाहर्टज बैंण्डों में स्पेक्ट्रम के आरक्षित मूल्य से संबंधित सिफारिशों को प्राप्त करने के लिए" ट्राई" को पत्र लिखा है ।

ट्राई ने " मूल्यांकन और स्पेक्ट्रम की आरक्षित कीमत" के बारे में दिनांक 9 सितम्बर, 2013 को अपनी सिफारिशें दीं और दिनांक 23 अक्तूबर, 2013 का अपना प्रत्युत्तर भी उपलब्ध कराया। ट्राई ने सभी 22 सेवा क्षेत्रों के लिए 1800 मेगाहर्टज में स्पेक्ट्रम की आरक्षित कीमत और तीन सेवा क्षेत्रों नामतः दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता में 900 मेगाहर्टज बैण्ड के लिए आरक्षित कीमत की सिफारिश की है । ट्राई द्वारा 800 मेगाहर्टज के लिए किसी आरक्षित कीमत की सिफारिश नहीं की गई है ।

स्पेक्ट्रम की आरक्षित कीमत से संबंधित मामला सरकार के विचाराधीन है ।

*****